कार्यालय कलेक्टर,(वित्त शाखा) जिला बस्तर, जगदलपुर,
//विज्ञप्ति//

क्रमांक 4/चिप्स/2015 जगदलपुर दिनांक 15.12.2015

तहसील कार्यालय बास्तानार में स्थापित लोक सेवा केन्द्र के संचालन के लिए चॉईस एजेंट की नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 90 सहपठित –6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए छत्तीसगढ़ शासन एतद् द्वारा अधिसूचित नागरिक सेवाओं के बारे में इलेक्ट्रानिक अधिशासन चलाने के लिए जिला कार्यालय में स्थापित लोक सेवा केन्द्र के संचालन के लिए बास्तानार में 01 रिक्त पद हेतु प्राधिकृत नागरिक सेवा एजेंटो (च्वाईस एजेंटों/लोक सेवा एजेन्ट) की नियुक्ति की जानी है ।

लोक सेवा केन्द्र के संचालन के लिए चॉईस एजेंट के रूप में नियुक्ति के लिए निर्धारित अर्हताः–

1. चॉईस एजेंट के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह व्यक्ति कम से कम उच्चतर माध्यमिक शाला त्यागी प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण हो, कम्प्युटर का बुनियादी ज्ञान रखता हो और प्रतिभूतियों बीमाओं, बैंक गारंटी या अन्य किसी भी तरीके से कलेक्टर की संतुष्टि अनुरूप पर्याप्त सुरक्षा प्रस्तुत करने में सक्षम होना चाहिए ।
2. कोई व्यक्ति चॉईस एजेंट के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह नहीं होगा, यदि वह अच्छे सदाचारी चरित्र का ना हो, या किसी दंडनीय अपराध के लिए सिद्धदोष किया जा चुका हो ।
3. अधिसूचित नागरिक सेवा उपलब्ध कराने हेतु चॉईस एजेन्ट को उसके द्वारा दी गई सेवाओं के एवज में छत्तीसगढ़ शासन उद्योग विभाग (सूचना प्रोद्योगिकी) द्वारा नियम राशि "सेवा प्रभार (Service Charge) के रूप में देय होगी ।

चॉईस एजेंट की नियुक्ति हेतु इच्छुक अभ्यार्थी निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र दिनांक 14/12/2015 तक आवेदन समय दोपहर 3.00 बजे तक कार्यालय जिला ई–गवर्नेस सोसाइटी कलेक्ट्रेट कक्ष क्रमांक– 15 से प्राप्त करें तथा दिनांक 15/12/2015 को वॉक–इन–इन्टरव्यू रखा जावेगा ।

अधिक जानकारी के लिये www.chips.gov.in/content/downloads" तथा www.bastar.gov.in से प्राप्त करें ।

कलेक्टर
जिला बस्तर

पृ0 क्रमांक 04/चिप्स/2015 जगदलपुर दिनांक 14.12.2015

प्रतिलिपिः–

1. संयुक्त संचालक, जनसम्पर्क अधिकारी, जगदलपुर जिला बस्तर को दैनिक समाचार पत्रों में लगातार दो दिनों तक प्रकाशित करने का कष्ट करें ।
2. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0 को जिले के वेबसाइट में अपलोड कराने हेतु प्रेषित ।

कलेक्टर
जिला बस्तर